न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य निबंधक , राजस्व प्राधिकारी, मध्यप्रदेश ,

ग्वालियर (म॰प्र॰) अपील 771-ई-15

श्री उमेश वस्सी एड.
द्वारा आज दि 13-4-15 को
प्रस्तुत
13-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

द्वितीय अपील क्रमांक /2015

अपीलार्थी/आवेदक :- संदीप विजन आत्मज स्व॰ श्री गुलशन विजन , उम्र 39 वर्ष, निवासी- होमसाइंस कालेज रोड, नेपियर टाउन, जबलपुर (म॰प्र॰)

// विरुद्ध //

~~विरुद्धोपरि~~

प्रस्तुत
उमेश वस्सी एड
13/4/15

प्रत्यर्थी/अनावेदक :- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर, संभाग जबलपुर , म॰प्र॰

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47 (5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत ·

अपीलार्थी/आवेदक माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है :-

13/4(01)

अपीलार्थी/आवेदक द्वारा यह द्वितीय अपील, माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय जबलपुर म॰ प्र॰ के अपील प्रकरण क्रमांक- 104/बी-121/2014-15 ,पक्षकार- संदीप विजन विरुद्ध म॰ प्र॰ शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प में दिनांक 04/03/2015 को पारित आदेश जिसमें कि माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की अपील गुण दोषों पर निराकृत न करते हुए तकनीकी त्रुटि के आधार पर कि अपीलार्थी की अपील परिसीमा अवधि में विलंब के लिये कोई विशिष्ट तथ्य या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिये अपीलार्थी की प्रथम अपील परिसीमा विलंब का आवेदन अस्वीकृत करते हुए उक्त अपील निरस्त की

अपी. 771-I/15 जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्ष
9.7.15	आवेदक पक्ष को सूचना दी जाये। प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु। अ.दि. 17.9.15 [signature] अपरेन्द्र	
17.9.15	आवेदक को सूचना दी जाये। प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु। अ. 16.11.15 [signature] सदस्य	
16.11.15	आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि आवेदक की प्रकरण में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण रुचि के अभाव में उदम रुचि में खारिज किया जाता है। [signature] सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.